न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2020

दायर दिनांक– 13.3.2020
निर्णय दिनांक–29.10.2020

बापु पिता बदा डामोर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी पालीसोडा तहसील बिछीवाडा जिला डूँगरपुर :–प्रार्थी

बनाम

1 दादु पिता बदा डामोर जाति मीणा आयु वयस्क निवासी पालीसोडा त. बिछीवाडा जिला डूँगरपुर

2 श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील बिछीवाडा जिला डूँगरपुर

:– विपक्षीगण

अपील अर्न्तगत 14(4)भू– आवंटन नियम

उपस्थितः–श्री नगीन पटेल वास्ते प्रार्थी

उपस्थितः– श्री कृष्णराजसिंह चौहान वास्ते विपक्षी सं. एक

उपस्थित :– विपक्षीगण सं. दो की और से राजकीय पेरोकार

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पालीसोडा के चक सलीयाट के खसरा नम्बर 828 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर प्रार्थी का 20 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है , भूमि को उपजाउ बनाया है तथा काफी धन खर्च किया है।प्रार्थी द्वारा उसकी पेनाल्टी भी जमा कराई है तथा राज्य सरकार की और से अतिक्रमी मानकर धारा 91 का नोटिस भी दिया है। आज तक कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है उसके बावजुद दिनांक 23.2.2019 को आवंटन सलाहकार समिति केम्प पालीसोडा मे भूमि विपक्षी सं. एक को आवंटन कर दी जब कि मौके पर आज तक प्रार्थी ही काबिज है। विपक्षी सं. एक को भूमि का आवंटन गलत रूप से किया गया है तथा अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया की विपक्षी सं. एक का आवंटन खारीज किया जाए।

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण की तलबी हुई। विपक्षी सं. एक की और से अपना जबाब प्रस्तुत किया गया। विपक्षी सं. दो की और से कोई जबाब पेश नही किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:52 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी सं. एक की और से प्रस्तुत जबाब के अनुसार अंकित किया गया कि आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा विपक्षी सं. एक का होकर उसके द्वारा ही भूमि पर काश्त की जाती आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सही रूप से भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिस दिन विपक्षी सं. एक को भूमि का आवंटन किया गया है उसी दिन प्रार्थी को भी खसरा नम्बर 828 मे भूमि का आंवटन किया गया है एवं अन्य कथन अपने जबाब मे अंकित किए है। और ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान् के दस्तावेजात, उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अपने अपने अभिवचन का अवलोकन एवं मनन किया गया उपभय पक्षों की बहस समायत की गई।

विद्वान वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की और से अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर पर अपने कब्जे के संबध मे लगान की रसीदे और धारा 91 के नोटिस पेश किए है जिससे प्रार्थी का कब्जा होना प्रमाणित हो रहा है तथा विपक्षी दादु का कब्जा खसरा नम्बर 828 पर ना होकर खसरा नम्बर 829 पर है लेकिन वह गलत रूप से खसरा नम्बर 828 पर कब्जा करना चहता है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं.एक द्वारा अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यों को उल्लेखित करते हुए कथन किया कि आवंटन विधि अनुसार किया गया है तथा जिस दिनांक को विपक्षी सं. एक को भूमि का आवंटन हुआ है उसी दिनांक को मिसल नम्बर 84 दिनांक 23.2.2019 केम्प पालीखोडा के जरिए खसरा नम्बर 828 मे से अपीलांट को भी 0.16 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ है और उसके कागज पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए है जिससे विपक्षी सं. एक की बात का पूर्ण प्रमाणीकरण होता है, ऐसी परिस्थिति मे विपक्षी सं. एक को भूमि का सही आवंटन हुआ है और विपक्षी सं. एक का मौके पर कब्जा भी है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधि अनुसार आवंटन किया गया है जिसे निरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी नही है।

हमारे द्वारा बहस सुनी गई , पत्रावली पर आए दस्तावेजी साक्ष्य व अभिवचनों को [illegible] रूप से देखा गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे यह बात बिल्कुल साफ है कि जिस दिनांक 23.02.2019 को अपीलांट को भूमि का आवंटन किया गया है उसी दिनांक को विपक्षी को भी भूमि का आवंटन किया गया है ,जिससे स्पष्ट है कि आंवटन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

सलाहकार समिति द्वारा वास्तविक आधार पर जिसका जितनी भूमि पर कब्जा था उसी आधार पर नियमों के अनुरूप आवंटन किया गया है । अपीलांट को स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना चाहिए था तथा उसे न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए था कि आवंटन दिनांक 23.02.2019 को उसे भी भूमि का आवंटन किया गया है तथा विधि की यह मंशा है आवंटन की जाने वाली भूमि किसी एक ही कृषक को ही आवंटित नही की जाए बल्कि सभी पात्रताधारियों को आवंटन की जा सके और सभी काश्त कर अपना जीवन निर्वहन कर सके लेकिन अपीलांट की मंशा यह प्रतीत होती है कि वह सम्पूर्ण भूमि का आवंटन अपने नाम गलत रूप से करवाने की मंशा रखता है और इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विपक्षी का खसरा नंबर 829 पर कब्जा होने का कथन किया है लेकिन उसके समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है जिससे अपीलांट के कथन की पुष्टि नहीं की सकती है। मेरी विनम्र राय मे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नही किया गया है जिससे विपक्षी सं.एक का आवंटन निरस्त किया जा सके और ना ही विपक्षी सं. एक द्वारा तथ्यों को छुपाया जाकर आवंटन कराया गया है, ऐसा भी प्रतीत नही होता है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर विपक्षी सं.एक का आवंटन यथावत रखा जाना उचित पाया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकर्मील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपालसिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:52 IST
Reason: SelfAttested